

घोषणा-पत्र-(स)

(संस्थान/फर्म जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है एवं निर्माण संबंधी कार्यों में कार्यरत है।)

1. मैं (नाम)पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....उम्र.....(वर्ष), निवासी
वार्ड.....ग्राम/काँलोनी.....पंचायतसमिति/नगर
पालिका.....जिला.....का रहने वाला हूँ। मैं
मैसर्स.....(संस्थान का नाम व पता) का प्रबंधक /मालिक/निदेशक हूँ। मेरे आधार नम्बर
.....,भामाशाह नम्बर....., एवं मोबाईल नम्बर.....है।

2. यह कि संस्थान श्रम विभाग.....में बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक
.....है/पंजीयन की आवश्यकता नियमानुसार नहीं है। संस्थान का जी.एस.टी. नं....., टिन
नं....., पैन नंहै।

3. यह कि संस्थान में भवन एवं अन्य संनिर्माण संबंधी कार्य हेतु निम्नलिखित श्रमिक नियोजित है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

नाम- पिता का नाम- उम्र- कार्य विवरण- कब से कार्यरत है-

I

II

III

(यदि सूचना विस्तृत है तो एक अलग से प्रपत्र लगावें)

4. यह कि श्री/श्रीमतीपत्नी/पुत्र.....निवासी..... आधार
नं.....,भामाशाह नं.....,मोबाईल नं..... ने दिनांकसे दिनांक.....तक कुलदिन
बेलदार/मिस्त्री/.....के रूप में संस्थान में कार्य किया है। श्रमिक को मेरे अधीन किये गये कार्य का रूपये.....प्रतिदिन की दर से
पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

5. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण-पत्र का विभागीय अधिकारियों
द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420 एवं अन्य प्रावधानों के
अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ एवं कथित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किये
गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

(प्रबंधक का नाम मय सील)